

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273, नि. : 07759-222504, फैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 4962
प्रति,

कोरबा, दिनांक 01/08/2024

प्रोजेक्टर डायरेक्टर,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कोरबा (छ.ग.)

विषय :- Approval of Wildlife Management Plan and Avifauna Plan for National Highway Authority of India (NHAI) Proposal for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration, Package-I (0+00 to 38+150)
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र. FC-I/ROCH-09/2021/440 दिनांक 04.01.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्र. 4418 दिनांक 04.07.2024
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07 जून 2022

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration, Package-I (0+00 to 38+150) - 4.493 हे. प्रकरण हेतु Wildlife Management Plan and Avifauna Plan "Dhruv consultancy services Lt. Mumbai" के द्वारा तैयार की गई हैं।

संदर्भित पत्र क्र. 2 के द्वारा उपरोक्त Wildlife and Avifauna Management, Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) द्वारा 07 जून 2022 जारी दिशानिर्देश के अनुरूप प्लान तैयार नहीं किया गया है का लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र क्र. 1 के तहत प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्र. xiv एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के शर्तों के अनुरूप Wildlife Management Plan प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण परियोजना लागत के 2% राशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर से अनुमोदन उपरांत एडहाक कैम्पा खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- परियोजना की लागत - 662.20 करोड़ रुपये

Wildlife Management Plan हेतु जमा की जाने वाली राशि -

- Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) द्वारा 07 जून 2022 के जारी दिशानिर्देश के अनुसार 2% राशि - 13.244 करोड़ रुपये

अतः उक्त राशि 13.244 करोड़ (तेरह करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार रुपये) जमा कर इस कार्यालय को सूचित करें, भविष्य में किसी प्रकार की वृद्धि होने पर आपके द्वारा देय होगा, साथ ही साथ Wildlife Management Plan तैयार कराकर अविलम्ब इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत उक्त शर्तों की पूर्ति नहीं होने तक कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

F:\F Drive Old\New Letter\4.docx



पृ. क्रमांक/तक.अ/

4963

कोरबा, दिनांक 01/08/2024

प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी, उत्तर कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है कि आप आवेदक संस्थान से Wildlife Management Plan तैयार कराने में सहयोग प्रदान करें।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा